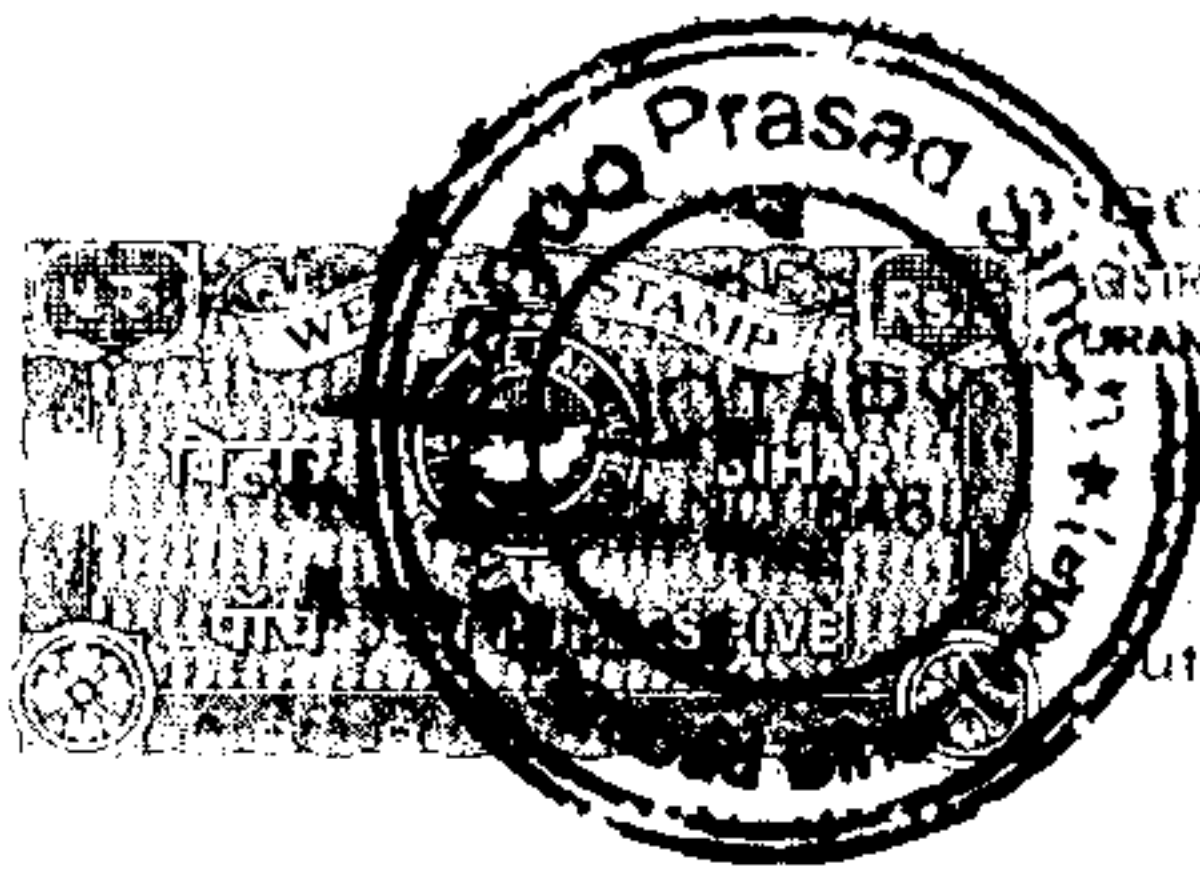
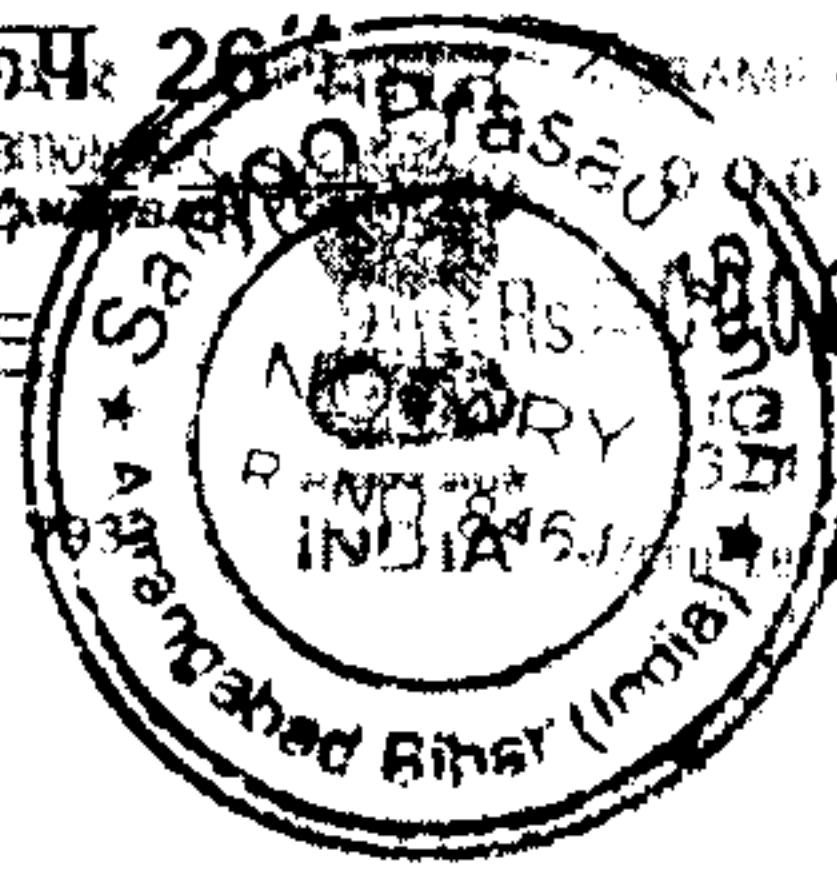




GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF LAW
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION
COURT FEE
Authorization No. 10332



वि. नं. 10332
JUDICIAL
15.3.2014



37, औरंगाबाद

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकरा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं सुशील कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी रामनरेन्द्र सिंह
आयु 48 वर्ष, जो 25 दसंबर 2013 औरंगाबाद
जिला - औरंगाबाद (द्वारा)

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1) मैं भारतीय जनता पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

2) मेरा नाम 223, औरंगाबाद विधानसभा (निर्वाचन क्षेत्र) और राज्य का नाम में भाग सं 150 के क्रम सं 481 पर प्रविष्ट है।

3) मेरा संपर्क टेलिफोन नं. 09431223600 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) SushilSingh@gmail.com है।

4) रखाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रार्थना:

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)

E:brahamanan/ELC/form 26

Sushil Singh

4. स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रास्थिति:

क्र. सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं- सुशील कुमार सिंह	AIOPS 5962M	2012-13	12,61,616/-
2	पत्नी- श्रीमती आरती सिंह	ATRPS 0074L	2012-13	9,99,245/-
3	आश्रित-1- आदित्य शेखर	शुन्य	शुन्य	शुन्य
4	आश्रित-2 - संजना सिंह	शुन्य	शुन्य	शुन्य
5	आश्रित-3 - प्रवीर सिंह	शुन्य	शुन्य	शुन्य

5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

I. निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	(i) 209/04 औरंगाबाद नगर थाना, औरंगाबाद (बिहार)। (ii) 12/98 औरंगाबाद (नगर) थाना, औरंगाबाद (बिहार)। (iii) 166/98 औरंगाबाद (नगर) थाना, औरंगाबाद (बिहार)।
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों)की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	(i) 147, 148, 149, 323, 324 भा0 द0 वि0, मेरे विरुद्ध आरोप है कि दिनांक- 20-04-04 को 1.30 बजे दोपहर में मै एस0 सिन्हों कॉलेज औरंगाबाद में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था और घातक आयुद्ध से लैस होकर बल्ला किया एवं रामविलाश यादव को स्वेच्छया उपहति कारित किया। (ii) 426, 427, भा0 द0 वि0, मेरे विरुद्ध आरोप है, कि मैने दिनांक 06-02-1998 को चुनाव में समता पार्टी के उम्मीदवार होकर सरकारी भवन पर पार्टी का झंडा लगाकर रिस्ती की है। (iii) 147, 148, 149, 337, 323, भा0 द0 वि0, मेरे विरुद्ध आरोप है, कि दिनांक-03-04-1998 को मै नगर थाना औरंगाबाद के परिसर में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था और घातक आयुद्ध से लैस होकर बल्ला किया तथा पुलिस पदाधिकारियों पर ईट, पत्थर फेंक कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित किया।

(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	(i) श्री अशोक कुमार गुप्ता, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, औरंगाबाद, जी. आर. सं. 928/04, विचारण सं०- 951/14, संज्ञान तिथि:- 08-02-05. (ii) श्री राकेश कुमार तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, औरंगाबाद। औरंगाबाद नगर थाना अप्राथमिकी सं०- 12/98, जी. ओ. सं. 04/1998. विचारण सं. 851/14, संज्ञान तिथि:- 07-02-1998. (iii) श्री देवानन्द मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी औरंगाबाद। औरंगाबाद नगर थाना काण्ड सं०- 166/1998, जी. आर. सं. 649/98, विचारण सं०-993/14, संज्ञान तिथि:- 17-03-1999.
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	(i) श्री रतन कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी औरंगाबाद। (ii) श्री राकेश कुमार तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी औरंगाबाद। (iii) मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी औरंगाबाद।
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	(i) 25-01-2006 (ii) 25-06-2012 (iii) 29-05-2006
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

II. निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	(i) 209/04, औरंगाबाद नगर थाना, औरंगाबाद (बिहार)। (ii) 12/98, औरंगाबाद नगर थाना, औरंगाबाद (बिहार)। (iii) 166/98, औरंगाबाद नगर थाना, औरंगाबाद (बिहार)। (iv) 333/05, औरंगाबाद नगर थाना, औरंगाबाद (बिहार)।
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	(i) 147, 148, 149, 323, 324 भा० द० वि० आरोप है कि मैंने दिनांक 20-04-2004 को 01.30 बजे दोपहर में एम० सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होकर बल्ला किया तथा राम विलाश यादव को लोहे के रड से मारा। (ii) 426, 427 भा० द० वि० आरोप है कि मैंने 1998 के चुनाव में समता पार्टी का प्रत्याशी था और सरकारी भवन पर पार्टी का झण्डा लगाकर रिष्टी की है।

		(iii) 147, 148, 149, 337, 323 भा0 द0 वि0 आरोप है कि दिनांक 03-04-1998 को जब मैं औरंगाबाद नगर थाना काण्ड सं0-165/98 में गिरफ्तार था तब विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होकर घातक आयुध से लैस होकर बलवा किया और पुलिस पदाधिकारियों पर ईंट, पत्थर, फेंक कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित किया। (iv) 147, 148, 149, 447, 427, 379 भा0 द0 वि0 आरोप है कि दिनांक 09-08-2005 को मैं विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था और घातक आयुध से लैस होकर अन्य अभियुक्तों के साथ अपराधिक अतिचार कर गाड़ियों के शीशे तोड़कर रिस्ती एवं चोरी की।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	(i) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद। औरंगाबाद नगर थाना काण्ड सं0- 209/04, जी0 आर0 सं0- 928/04, विचारण सं0-951/14, दिनांक:-08-02-2005. (ii) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद। औरंगाबाद नगर थाना अप्राथमिकी सं0- 12/98, जी0 आर0 सं0- 04/98 विचारण सं0- 851/14, दिनांक:- 07-02-1998. (iii) सहायक मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद। औरंगाबाद नगर थाना काण्ड सं0- 166/98, जी0 आर0 सं0-649/98 विचारण सं0-993/14, दिनांक:- 17-03-1999. (iv) सहायक मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद। औरंगाबाद नगर थाना काण्ड सं0- 333/05 जी0 आर0 सं0- 1461/05, विचारण सं0-1154/14, दिनांक:- 04-08-2006.
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	(i) श्री रतन कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, औरंगाबाद। (ii) श्री राकेश कुमार तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, औरंगाबाद। (iii) श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, औरंगाबाद। (iv) आरोप विरचित नहीं।
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	(i) 25-01-2006 (ii) 25-06-2012 (iii) 29-05-2006 (iv) आरोप विरचित नहीं।
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं।

(ख)	न्यायालय (न्यायालयों का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों)की तारीख (तारीखें)	शुन्य।
(ग)	अधिरोपित दंड	शुन्य।
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शुन्य।

7. मैं मेरे, पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3-सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में उपलब्ध करा दिए जाने हैं।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-१	आश्रित-२	आश्रित-३
i	हाथ में नकदी	14,50,000/-	3,00,000/-	30,000/-	35,000/-	20,000/-
ii	बैंक खातों में जमा ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वितीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वितीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम।	2,32,585/-	3,68,394/-	शुन्य	शुन्य	शुन्य
iii	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम।	9,55,000/-	45,72,200/-	शुन्य	शुन्य	शुन्य

मदर (1) में वर्णित मामलों से भिन्न}-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद (बिहार)। नगर थाना काण्ड सं०- 104/14 संज्ञान नहीं।
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला। संज्ञान नहीं लिया गया है।
(ग)	पुर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	नहीं।

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शुन्य।
-------	---	--------

iv	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।	10,00,000/-	4,00,000/-	1,00,000/-	शून्य	शून्य
v	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम।	5,56,800/-	2,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
vi	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)।	फोरचूजर-1872000/- 2009 फोर्ड इनावा-950000/- 2011 टोयोटा स्कार्पियो-1288875/- 2014 महीन्द्रा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vii	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोना-220 ग्राम 660000/- चांदी-1 कि.ग्रा. 50000/-	सोना-400 ग्राम 1200000/- चांदी-3 कि.ग्रा. 150000/-	सोना-50 ग्राम 150000/- चांदी-300 ग्रा. 15000/-	सोना-100 ग्राम 300000/- चांदी-600 ग्रा. 30000/-	सोना-50 ग्राम 150000/- चांदी-300 ग्रा. 15000/-
viii	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ix	समग्र कुल मूल्य	90,15,260/-	71,90,594/-	2,95,000/-	3,65,000/-	1,85,000/-

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त रूप में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इसे धारित व्यक्ति का वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
I	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)।	1. शाहपुर औरंगाबाद 2. मौजा बेरी, सलैया, मदनपुर 3. मौजा भोपतपुर, बारून 4. मौजा भोपतपुर, बारून 5. मौजा भोपतपुर, बारून	1. बाला कर्मा औरंगाबाद 2. मौजा बेरी, सलैया, मदनपुर	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1. 2.57 एकड़ 2. 5.75 एकड़ 3. 1.29 डिसमील 4. 0.82 डिसमील 5. 1.29 डिसमील	1. 0.50 एकड़ 2. 5.26 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	1. विरासत में आई संपत्ति है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	2. 29-03-2013 3. 18-03-2009 4. 18-03-2009 5. 18-03-2009	1. 2010-2011 2. 29-03-2013	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	2. 5,00,000/- 3. 63,000/- 4. 40,000/- 5. 63,000/-	1. 1,80,000/- 2. 4,60,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1. 1,00,00,000/- 2. 5,00,000/- 3. 10,00,000/- 4. 6,35,000/- 5. 10,00,000/-	1. 10,00,000/- 2. 4,60,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
ii	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	1. शाहपुर औरंगाबाद 2. हिमचौक रॉबी 3. न्यू एरिया औरंगाबाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1. 0.88 एकड़ 2. 3 कठा 8 चटक 3. 0.80 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	1. विरासत में आई संपत्ति है। 2. विरासत में आई संपत्ति है। 3. विरासत में आई संपत्ति है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1. 2,64,00,000/- 2. 38,00,000/- 3. 2,80,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	1. बाईपास रोड शाहपुर औरंगाबाद।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	0.62 1/2 एकड़।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	1. विरासत में आई संपत्ति है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1. 2,50,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित): अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	1. प/2-द्वितीय तल, प्रेम निकेतन इस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना। 2. डॉक्टर्स लेन गोल मार्केट, दिल्ली।	डॉक्टर्स लेन गोल मार्केट, दिल्ली।	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1. 1265 स्क्वायर फीट 2. 416 गज	416 गज	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	1. 2001 2. 2012	2012	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	1. 2,55,000/- (1/2 हिस्सा) 2. 47,50,000/- (1/4 हिस्सा)	46,45,100/- (1/4 हिस्सा)	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1. 10,00,000/- (1/2 हिस्सा) 2. 60,00,000/- (1/4 हिस्सा)	10,00,000/- (1/4 हिस्सा)	शून्य	शून्य	शून्य
V	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
Vi	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	10,33,35,000/-	10,33,35,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

8) मैं, लोक वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
i	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं)को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	1. एस. बी. आई. पार्लियामेंट ब्रांच दिल्ली -रु0 2,14,757.74/- बाहन ऋण। 2. पं0 नेशनल बैंक, औरंगाबाद रु0-2,48,940/- बाहन ऋण। 3. पं0 नेशनल बैंक ओल्ड जे. टी. रोड, औरंगाबाद। रु0-7,05,975/- बाहन ऋण। 4. पं0 नेशनल बैंक, औरंगाबाद रु0-29,05,092.25/- गृह ऋण (1/4 हिस्सा)	पं0 नेशनल बैंक, औरंगाबाद रु0- 29,05,092.25/- गृह ऋण (1/4 हिस्सा)	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	1. टेलीफोन विभाग, औरंगाबाद रु0-2,91,227/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	लोकसभा सेक्रेटेरियट दिल्ली रु0 50,542/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	रु0-44,16,533.99/-	29,05,092.25/-	शून्य	शून्य	शून्य
iv	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:-

(क) स्वयं:- कृषि

(ख) पति या पत्नी:- व्यापार

10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:-

(क) अनुग्रह बहुदेशीय उच्च विद्यालय, औरंगाबाद, मैट्रिक-1977

(ख) मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, स्नातकोत्तर, राजनीति शास्त्र-1992

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)।

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० :- सुशील कुमार सिंह
2	डाक का पता	२५, न्यू एरिया, औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद (बिहार)
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	३७, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र (बिहार)
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारतीय जनता पार्टी
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	३ (तीन)
6	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है। (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न) ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	४ (चार) शुन्य

7		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	AIOPS5962M	वित्तीय वर्ष:-2012-2013	रु०:-12,61,616/-
	(ख) पति या पत्नी	ATRPS 0074L	वित्तीय वर्ष:-2012-2013	रु०:- 9,99,245/-
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य

8 आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)

	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	90,15,260/-	71,90,594/-	2,95,000/-	3,65,000/-	1,85,000/-
ख	स्थावर आस्तियां					
	i स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	56,71,000/-	52,85,100/-	शून्य	शून्य	शून्य
	ii क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	iii निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	1,01,35,000/-	74,60,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	1,91,50,260/-	1,46,50,594/-	2,95,000/-	3,65,000/-	1,85,000/-
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	9,32,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9 दायित्व

i	सरकारी शोध (कुल)	3,41,769/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	40,74,764.99/-	29,05,092.25/-	शून्य	शून्य	शून्य

10 ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं

i	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

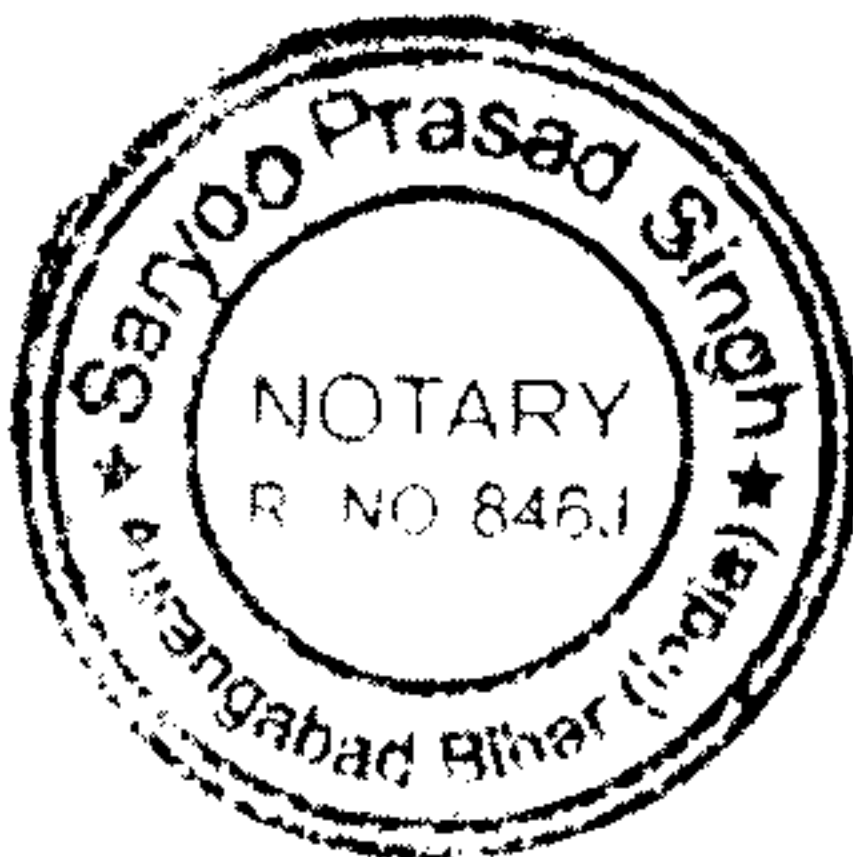
सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख.....14.03.2014 को सत्यापित किया गया।



Pradeep K. S.
Adv
14.3.14.

अभिसाक्षी

Solemnly Affirm Before me
Brisal Singh K. S.
Identified Pradeep K. S.
14.03.14
NOTARY
Munger (Bihar)

टिप्पण: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नौटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13-09-2013 को WP (C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष सम्पर्क/संख्या/संख्यायें है/हैं:-09431223600

मेरा ई-मेल आई० डी० (अगर कोई हो) है:- sushilsingh.mp@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है :-शून्य



Sanjay Prasad Singh
14.03.14

Sushil Singh

Solemnly Affirm Before Me
Identified
14.03.14

NOTARY
Sanjay Prasad Singh